

11.01.21

पत्रावली पेठा हुई। आर्ची वकील ने आर्चना पत्र अन्तर्गत आदेश
22 नियम 34C का पेठा किया जिसे आर्चिबल पत्रावली किया
गया। आर्ची वकील का निवेदन है कि आर्ची दादी का देयता
कुछ दिन पूर्व से गया है जिसके आयम गुडाम रेकर्ड
पर लेने का निवेदन किया है। आर्ची वकील का आर्चना
पत्र न्यायादित में स्वीकार किया जाता है। आर्ची वकील
ने संशोधित बर्षिष्ठ पेठा किया जिसे आर्चिबल पत्रावली किया
गया। आर्चीने कि आयम गुडाम की ओर से दोष हाँटम्मद
अधिवक्ता ने वजालतनामा पेठा किया। आर्चीने कि आयम
गुडाम की ओर से आर्चना पत्र वस्तु विज्ञान करने पत्रावली
पेठा कर निवेदन किया कि उक्त अनवान की पत्रावली
न्यायालय में विचाराधीन है। आर्चीगण उपरोक्त आर्चना
पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं एवं आर्चीगण हल्लाल
आर्चना पत्र उकी स्ट्रेज पर श्वारिष्ण करवाना चाहते हैं।
इस कारण उक्त पत्रावली को आगे चलाने का ऑनिसिय
टी नहीं है। अतः इसे जरिये विज्ञान श्वारिष्ण फरमाया
जावे।

आर्चीगण कि आयम गुडाम का आर्चना पत्र न्यायादित
में स्वीकार किया जाकर पूर्व में न्यायालय हाना जारी
किया गया स्वयं आदेश दिनांक 09/05/19 को निरस्त
किया जाता है। पत्रावली फलत गुडाम होकर मूलपाद
के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

